उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होमियोपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ–226018

दूरभाष : 0522–2961801
फैक्स : 0522–2616638

पत्रांक 2099 /एच0एम0बी0/ 609/2019 दिनांक 15-7-19

प्रेषक,

रजिस्ट्रार,
होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्रीमती गुजराती देवी होम्योपैथी फार्मेसी कालेज,
ग्राम–गदनपुर हिच्छनपट्टी, जिला–आजमगढ़।

विषयः–डिप्लोमा इन होमियोपैथिक फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्रीमती गुजराती देवी होम्योपैथी फार्मेसी कालेज, ग्राम–गदनपुर हिच्छनपट्टी, जिला–आजमगढ़ के प्रबन्धक, श्री देवनाथ यादव, के पत्र दिनांक 04.07.2018 के माध्यम से डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में दिनांक 22.01.2019 को गठित 03 सदस्यीय निरीक्षण दल द्वारा शासनादेश दिनांक 19.08.2010 में निर्धारित मानकों के आधार पर दिनांक 28.03.2019 को संस्था का स्थलीय निरीक्षण कर, निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी। संस्था के प्रबन्धक द्वारा योजित शपथ–पत्र दिनॉक 15-7-19 में यह बयान दिया गया है कि *"उत्तर प्रदेश शासन आयुष अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्याः 1372/71–आयुष–2–2015–92/96 टी0सी0 दिनॉक 21.12.2015 में दिये नियम एवं शर्तो एवं निर्धारित समय–सारणी का पूर्ण पालन करेगी।"*

2– उपर्युक्त आधार पर श्रीमती गुजराती देवी होम्योपैथी फार्मेसी कालेज, ग्राम–गदनपुर हिच्छनपट्टी, जिला–आजमगढ़ को डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम (100 सीटों की क्षमता) संचालित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उक्त मान्यता/अनुमति शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए प्रदान की जा रही है।
2. संस्था द्वारा उ0प्र0 शासन, आयुा अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्याः 1372/71–आयुष–2–2015–92/96 टी0सी0 दिनॉक 21 दिसम्बर, 2015 में दिये गये आदेशों, निर्देशों, शर्तो एवं निर्धारित समय–सारणी आदि का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा, किन्तु छात्रों के प्रवेश हेतु शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित तिथि मान्य होगी।
3. शासन एवं बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं शासनादेशों का संस्था द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था द्वारा डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश में मा0 न्यायालयों के आदेशों, यदि कोई है अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी।
5. प्रशिक्षण अवधि में कोई भी भत्ता देय न होगा तथा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में लिया जाना बाध्यकारी न होगा।
6. डी.एच.पी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों से प्रशिक्षण व अन्य शुल्क के रूप में बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. प्रशिक्षण में आरक्षण सुसंगत शासनादेशानुसार देय होगा।
8. संलग्न प्रेषित प्रारूप, अर्हता एवं शर्तों के अधीन उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही नियमानुसार संस्था स्वयं करेगी।
9. बोर्ड द्वारा किसी भी समय संस्था का आकस्मिक निरीक्षण कराया जा सकता है। पठन–पाठन एवं अनुशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा की जायेगी। संस्था में निर्धारित मानक की शत–प्रतिशत पूर्ति होनी चाहिए, त्रुटि पाये जाने पर संस्था के प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी दशा में संस्था के छात्रो को अन्य मान्यता प्राप्त निकटवर्ती संस्था में समायोजित कर दिया जायेगा।
10. बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का संस्था द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
11. यह मान्यता संस्था द्वारा निरीक्षण दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं उक्त आधार पर पैनल सदस्यों द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि बोर्ड को किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है, तो नियमानुसार मान्यता समाप्त करते हुए संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

डा0 (अनिल कुमार मिश्र)
रजिस्ट्रार।

पत्रांकः /एच0एम0बी0/ तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि, सचिव, उ0प्र0 शासन आयुष अनुभाग–2 को सूचनार्थ प्रेषित।

डा0 (अनिल कुमार मिश्र)
रजिस्ट्रार।